

न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी का नाम :- हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 866/ 2019

- 1 प्रेम सिंह विश्नोई पुत्र रामस्वरूप जाति विश्नोई निवासी वार्ड नं. 1 हरीजन बस्ती सादुलशहर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
- 2 इन्द्रा देवी पत्नी प्रेम सिंह जाति विश्नोई निवासी वार्ड नं. 1 हरीजन बस्ती सादुलशहर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
- 3 सुशील कुमार पुत्र रामस्वरूप जाति विश्नोई निवासी वार्ड नं. 1 हरीजन बस्ती सादुलशहर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
- 4 सुमना देवी पत्नी सुशील कुमार जाति विश्नोई निवासी वार्ड नं. 1 हरीजन बस्ती सादुलशहर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
- 5 विजयपाल पुत्र रामस्वरूप जाति विश्नोई निवासी वार्ड नं. 9 ढाणी 13 पी टी पी किशनपुरा उत्तराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
- 6 सुनिता पत्नी विजयपाल जाति विश्नोई निवासी वार्ड नं. 9 ढाणी 13 पी टी पी किशनपुरा उत्तराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
- 7 सन्तकुमार पुत्र रामस्वरूप जाति विश्नोई निवासी किशनपुरा उत्तराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
- 8 सन्तोष देवी पत्नी सन्तकुमार जाति विश्नोई निवासी किशनपुरा उत्तराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ

वादीगण

बनाम

- 1 रामस्वरूप पुत्र लाधूराम जाति विश्नोई निवासी वार्ड नं. 1 सादुलशहर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
- 2 राजबाला पत्नी रामस्वरूप जाति विश्नोई निवासी वार्ड नं. 1 सादुलशहर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
- 3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर
- 4 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण :-

- 1 श्री रामकुमार सिहाग, राकेश सिहाग अधिवक्ता (वादीगण)
- 2 श्री रजनीकान्त अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 ता 2
- 2 राजपैरोकार वास्ते स्टेट निर्णय

दिनांक :- 27.1.2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. के तहत इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया कि चक 30 के एस डी जमाबंदी सम्वत 2070-2073 खाता संख्या 54/53 प.न. 47/100 मु.न. 1 कि.न. 16 ता 25 में 2.138 है.नहरी, प.न. 58/101 मु.न. 10 कि.न. 6 ता 15,



E. V. Singh
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर


16/1.17/1.18/1.23 में 3.913 है बाराणी, प.न. 47/101 मु.न. 21 कि.न. 2 ता 5, में 0.354 है नहरी, प.न. 56/102 मु.न. 30 कि.न. 12 ता 19, 22 ता 25 में 3.036 है बाराणी, प.न. 57/102 मु.न. 31 कि.न. 6, 11 ता 25 में 4.048 है बाराणी, प.न. 58/102 मु.न. 32 कि.न. 1 ता 3, 6 ता 25 में 5.692 है बाराणी, प.न. 58/103 मु.न. 33 कि.न. 1 ता 15, 18 ता 20 में 4.554 है बाराणी, प.न. 57/103 मु.न. 34 कि.न. 1 ता 16 में 4.048 है बाराणी, प.न. 56/103 मु.न. 35 कि.न. 2 ता 8, 14, 15 में 2.530 है बाराणी कुल खाता 30.313 है नहरी बाराणी आराजी मेंसे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 2.980 है आराजी दर्ज कागजात माल है। नकल जमाबदीसंलग्न वाद पत्र है। चक 13 पी टी पी जमाबदी सम्वत 2069-2072 खातासंख्या 60/62 प.न. 119/143 मु.न. 22 कि.न. 10, 11 में 0.506 है नहरी, प.न. 118/143 मु.न. 23 कि.न. 1 ता 11, 12/3, 20 ता 25 में 4.166 है नहरी, प.न. 118/144 मु.न. 24 कि.न. 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1, 6 ता 15, 18, 19 में 3.732 है नहरी, प.न. 0 मु.न. 61 कि.न. 1 में 0.126 है गै.मु. खाला कुल खाता 8.530 है नहरी मय गै.मु. खाला आराजी प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से दर्ज कागजात माल है। नकल जमाबदी संलग्न वादपत्र है। चक 13 पी टी पी जमाबदी सम्वत 2069-2072 खाता संख्या 70/60 प.न. 118/143 मु.न. 23 कि.न. 16/1, 17 ता 19, 20/1 में 1.012 है नहरी कुल खाता 1.012 है नहरी आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज कागजात माल है। नकल जमाबदी संलग्न वाद पत्र है। चक 13 पी टी पी जमाबदी सम्वत 2069-2072 खाता संख्या 95/86 प.न. 118/143 मु.न. 23 कि.न. 12/1, 13, 14/1 में 0.506 है नहरी आराजी वादी संख्या 4 के नाम से दर्ज कागजात माल है। नकल जामबदी संलग्न वाद पत्र है। वादीगण के हक हिस्सा एव कब्जा काशत की दावा की मद संख्या 2 ता 5 में दर्ज आराजी संयुक्त परिवार की सम्पति है जो कि वादीगण संख्या 1, 3, 5, 7 सगे भाई है एव वादीगण एव प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 वादाधीन आराजी को संयुक्त रूप से रहकर काशत करते रहे है परन्तु धीरे धीरे परिवार बढ जाने के कारण साथ रहकर काशत कर पाना मुशकिल हो गया एव आपस में लड़ाई झगडा बढ जाने के कारण पारिवारिक शांति भंग होने लग गयी थी इसलिए वादीगण एव प्रतिवादीगण ने मिल बैठकर आपस में शांतिपूर्वक वादाधीन आराजी का पारिवारिक बंटवारा कर लिया ताकि भविष्य में किसी प्रकार का विवाद आपस में ना हो एव भाईयों में प्रेम भाव बना रहे। वादीगण के हक हिस्सा में कुल 46 बीघा आराजी है जिसमें से 6 बीघा आराजी वादी संख्या 2, 4, 6, 8 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है एव शेष आराजी पर वादीगण एव प्रतिवादीगण दिनांक 22.03.2018 को हुये बंटवारानुसार अपने अपने हक हिस्सा में आयी आराजी को काशत करने लग गये थे एव मुताबिक पारिवारिक बंटवारा दिनांक 22.03.2018 अनुसार आज भी शांतिपूर्वक बिना किसी विघ्न के काशत करते आ रहे है। दावा की मद संख्या 7 में कब्जा काशत का वर्णन किया गया। वादीगण के हक हिस्सा एव कब्जा काशत की मुताबिक पारिवारिक बंटवारानुसार प्राप्त आराजी राजसव रिकॉर्ड में वादीगण के नाम से मुताबिक पारिवारिक बंटवारा दर्ज रिकॉर्ड नही होने के कारण वादीगण को पानी की बारी रकम अदायगी बैंक ऋण व अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है एव आराजी राजस्व रिकॉर्ड में सांझा खाता में मुताबिक पारिवारिक बंटवारानुसार दर्ज रिकॉर्ड नही होने के कारण वादीगण एव प्रतिवादीगण के



ए.व. 1/18
सुबान्त आधिकारी (सि.न.न.)
सादरनाम

मध्य अक्सर विवाद की स्थिती बनी रहती है जिस कारण वादीगण अपने हक हिस्सा में आयी आराजी को शांतिपूर्वक काश्त कर पाने में असमर्थ है इसलिए वादीगण अपने हक हिस्सा की आराजी की मुताबिक पारिवारिक बंटवारानुसार खातेदारी घोषणा प्राप्त कर खाता अलग कायम करवाने के कानूनन हक अधिकारी है। वादीगण ने कई बार प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि वे लोग सहमति के आधार पर वादीगण के हक हिस्सा एव कब्जा काश्त आराजी कावादीगण को खातेदार काश्तकार स्वीकार कर लेवें व किसी सक्षम अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर आराजी राजस्व रिकॉर्ड में वादीगणके नाम से दर्ज रिकॉर्ड करवा देवे तो पहले तो प्रतिवादीगण आज कल आज कल करते रहे परन्तु दिनांक 15.10.2019 को वादीगण की बात मानने से स्पष्ट रूप से इन्कार हो गये बस यही बिनाये दावा है। वगैरा-वगैरा।

लिहाजा वाद वादीगण मय शपथ पत्र दो प्रतियों में पेश कर निवेदन है कि चक 13 पी टी पी जमाबदी सम्वत 2069-2072 खाता संख्या 60/62 प.न. 118/114 मु.न. 24 कि.न. 8 में 0.126 है. नहरी, कि.न. 9 में 0.253 है. नहरी, कि. न. 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19 प्रत्येक में 0.253 है. नहरी कुल 2.151 है. नहरी आराजी में से वादी संख्या 1 प्रेम सिंह विश्णोई को 1.518 है. व वादीसंख्या 2 इन्द्रा देवी को 0.633 है. आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एव इस हद तक प्रतिवादी संख्या 2 का नाम कलमजन किया जावे। चक 13 पी टी पी खाता संख्या 60/62 प.न. 118/143 मु.न. 23 कि.न. 1 ता 4 प्रत्येक में 0.253 है. नहरी, कि.न. 5 में 0.228 है. नहरी, कुल 1.240 है. नहरी, मु.न. 61 कि.न. 1 में 0.025 है. खाला कुल 1.265 है. नहरी मय खाला आराजी का वादी संख्या 3 सुशील कुमार को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं चक 13 पी टी पी खाता संख्या 60/62 प.न. 118/143 मु.न. 23 कि.न. 6 में 0.228 है. नहरी, कि.न. 7, 8, 9, 10 प्रत्येक में 0.253 है. नहरी कुल 1.240 है. नहरी, मु.न. 61 कि.न. 1 में 0.025 है. खाला कुल 1.265 है. नहरीमय खाला आराजी वादी संख्या 4 सुमना देवी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एव इस हद तक प्रतिवादी संख्या 2 का नाम कलमजन किया जावे। चक 13 पी टी पी जमाबदी सम्वत 2069-2072 खाता संख्या 60/62 प.न. 119/143 मु.न. 22 कि.न. 10, 11 प्रत्येक में 0.253 है. नहरी कुल 0.506 है. नहरी, प.न. 118/143 मु. न. 23 कि.न. 12/3 में 0.038 है. नहरी, 23, 24 प्रत्येक में 0.253 है. नहरी, कि.न. 25 में 0.228 है. नहरी, मु.न. 61 कि.न. 1 में 0.025 है. खाला कुल 0.797 है. नहरी नहरी मय खाला कुल 1.303 है. नहरी मय खाला आराजी का वादी संख्या 5 विजयपाल को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एव इस हद तक प्रतिवादी संख्या 2 का नाम कलमजन किया जावे। चक 13 पी टी पी जमाबदी सम्वत 2069-2072 खाता संख्या 95/86 प.न. 118/143 मु.न. 23 कि.न. 12/1 में 0.205 है. नहरी, कि.न. 13 में 0.253 है. नहरी, कि.न. 14/1 में 0.048 है. नहरी कुल 0.506 है. नहरी आराजी की वादी संख्या 6 सुनिता को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एव इस हद तक वादी संख्या 4 सुमन का नाम कलमजन किया जावे। चक 13 पी टी पी जमाबदी सम्वत 2069-2072 खाता संख्या 60/62 प.न. 118/143 मु.न. 23 कि.न. 21, 22 प्रत्येक में 0.253 है. नहरी कुल 0.506 है. नहरी, प.न. 118/144 मु.न. 24 कि.न. 2/1 में 0.120 है. नहरी, कि.न. 3/1 में 0.119 है. नहरी, कि.न. 4/1 में 0.131 है. नहरी, कि.न. 5/1



Eshwar
अधिकारी (राजस्व)
सादुलशाहर


में 0.208 है. नहरी, कि.न. 6,7 प्रत्येक में 0.253 है. नहरी, कि.न. 8 में 0.126 है. नहरी कुल 1.210 है. नहरी कुल 1.716 है. नहरी आराजी में से वादी संख्या 7 सन्तकुमार को 1.012 है. व वादी संख्या 8 सन्तोष को 0.704 है. आराजी का खातेदार काशतकार घोषित किया जावे एव इस हद तक प्रतिवादी संख्या 2 का नाम कलमजन किया जावे। अनूतोष की मद संख्या 1 से 5 के अनुसार वादीगण का खाता अलग अलग कायम किया जाकर रेवेन्यू अलग से कायम की जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने जरिये वकील उपस्थित होकर इकबाल दावा पेश कर वाद वादीगण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। जवाब स्टेट पेश हुआ राज्यहित को ध्यान में रखते हुये वाद वादीगण में उचित आदेश फरमाये जाने की इस्तदुआ की गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी दौराने बहस वकील वादीगण ने दावा के तथ्यों को दोहराते हुये वाद वादीगण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया, वकील प्रतिवादीगण ने वादीगण के कथनों में अपनी सहमति प्रकट की। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण एव प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है एव वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य पारिवारिक बंटवारा हुआ है वादाधीन आराजी सहदायिकी सम्पति है जो कि वादीगण पारिवारिक बंटवारानुसार खातेदारी घोषणा एव खाता तकसीम का अनूतोष चाह रहे है, प्रतिवादीगण ने जरिये इकबाल कथन वादीगण के कथनों में अपनी सहमति प्रकट की है एव वादीगण की कब्जा काशत को स्वीकार किया है। वादाधीन आराजी का खाता प्रतिवादीगण के नाम से अलग कायम है एव कब्जा काशत के सम्बन्ध में पक्षकारान के मध्य कोई विरोध नहीं है। इस प्रकार वादीगण ने अपने वाद पत्र को दस्तावेजी साक्ष्यों अभिकथनों एव बहस के आधार पर बखूबी साबित किया है। अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि :- (1) चक 13 पी टी पी जमाबदी सम्वत 2069-2072 खाता संख्या 60/62 प.न. 118/114 मु.न. 24 कि.न. 8 में 0.126 है. नहरी, कि.न. 9 में 0.253 है. नहरी, कि.न. 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19 प्रत्येक में 0.253 है. नहरी कुल 2.151 है. नहरी आराजी में से वादी संख्या 1 प्रेम सिंह विशनोई को 1.518 है. व वादी संख्या 2 इन्द्रा देवी को 0.633 है. आराजी का खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है एव इस हद तक प्रतिवादी संख्या 2 का नाम कलमजन किया जाता है। (2) चक 13 पी टी पी खाता संख्या 60/62 प.न. 118/143 मु.न. 23 कि.न. 1 ता 4 प्रत्येक में 0.253 है. नहरी, कि.न. 5 में 0.228 है. नहरी, कुल 1.240 है. नहरी, मु.न. 61 कि.न. 1 में 0.025 है. खाला कुल 1.265 है. नहरी मय खाला आराजी का वादी संख्या 3 सुशील कुमार को खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है एवं चक 13 पी टी पी खाता संख्या 60/62 प.न. 118/143 मु.न. 23 कि.न. 6 में 0.228 है. नहरी, कि.न. 7, 8, 9, 10 प्रत्येक में 0.253 है. नहरी कुल 1.240



Eshwar
अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

है. नहरी, मु.न. 61 कि.न. 1 में 0.025 है. खाला कुल 1.265 है. नहरी मय खाला आराजी वादी संख्या 4 सुमना देवी को खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है एव इस हद तक प्रतिवादी संख्या 2 का नाम कलमजन किया जाता है। (3) चक 13 पी टी पी जमाबदी सम्वत 2069-2072 खाता संख्या 60/62 प.न. 119/143 मु.न. 22 कि.न. 10, 11 प्रत्येक में 0.253 है. नहरी कुल 0.506 है. नहरी, प.न. 118/143 मु.न. 23 कि.न. 12/3 में 0.038 है. नहरी, 23, 24 प्रत्येक मे 0.253 है. नहरी, कि.न. 25 में 0.228 है. नहरी, मु.न. 61 कि.न. 1 में 0.025 है. खाला कुल 0.797 है. नहरी नहरी मय खाला कुल 1.303 है. नहरी मय खाला आराजी का वादी संख्या 5 विजयपाल को खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है एव इस हद तक प्रतिवादी संख्या 2 का नाम कलमजन किया जाता है। (4) चक 13 पी टी पी जमाबदी सम्वत 2069-2072 खाता संख्या 95/86 प.न. 118/143 मु.न. 23 कि.न. 12/1 में 0.205 है. नहरी, कि.न. 13 में 0.253 है. नहरी, कि.न. 14/1 में 0.048 है. नहरी कुल 0.506 है. नहरी आराजी की वादी संख्या 6 सुनिता को खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है एव उक्त खाता से वादी संख्या 4 सुमन का नाम कलमजन किया जाता है। (5) चक 13 पी टी पी जमाबदी सम्वत 2069-2072 खाता संख्या 60/62 प.न. 118/143 मु.न. 23 कि.न. 21, 22 प्रत्येक में 0.253 है. नहरी कुल 0.506 है. नहरी, प.न. 118/144 मु.न. 24 कि.न. 2/1 में 0.120 है. नहरी, कि.न. 3/1 में 0.119 है. नहरी, कि.न. 4/1 में 0.131 है. नहरी, कि.न. 5/1 में 0.208 है. नहरी, कि.न. 6,7 प्रत्येक में 0.253 है. नहरी, कि.न. 8 में 0.126 है. नहरी कुल 1.210 है. नहरी कुल 1.716 है. नहरी आराजी में से वादी संख्या 7 सन्तकुमार को 1.012 है. व वादी संख्या 8 सन्तोष को 0.704 है. आराजी का खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है एव इस हद तक प्रतिवादी संख्या 2 का नाम कलमजन किया जाता है। उक्तानुसार ही वादीगण का खाता अलग अलग कायम किया जाकर वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। निर्धारित स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर उक्तानुसार ही पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तर्तीब तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.1.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



हवाई सिह व्यादिव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

